कृषि भूमि को वाणिज्य/आवासीय श्रेणी से हटाना

113 श्री प्रदीप चौधरी (कालका):

क्या शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कृपया बताएंगे कि:-

(क) क्या नगर निगम, पंचकूला के अंतर्गत आने वाले गांवों की कृषि भूमि जहां 1 एकड़ से कम है, को वाणिज्यिक के रूप में घोषित किया गया है तथा क्या उक्त भूमि के संपत्ति पहचान पत्र/कार्ड बनाते समय किसानों से संपत्ति कर एकत्रित किया जा रहा है; तथा

(ख) क्या उक्त भूमि को वाणिज्यिक/आवासीय श्रेणी से हटाने से पश्चात कृषि भूमि के रूप में वर्गीकृत करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है?

डॉ0 कमल गुप्ता, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री

(क) नहीं, श्रीमान।

(ख) कृषि संपत्तियों पर संपत्ति कर नहीं लगाया जाता है। नगर निगम द्वारा कृषि भूमि को किसी अन्य श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया गया है।